

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15536/2026
CNR: RJHC020952012026 | URN: CRLMB / 28674U / 2026

Najir Khan S/o Mubin Khan, R/o Kharkhadi, Police Station
Nouganwa, District Alwar. (At Present Confined In Central Jail,
Alwar).

-----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous II Bail Application No. 15535/2026
CNR: RJHC020954252026 | URN: CRLMB / 28673U / 2026

Adil S/o Sahin, R/o Medu Bas Neekuch, Police Station Nauganva,
District Alwar (At Present Confined In Central Alwar, District
Alwar).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Jiya Ur Rahman with Ms. Bhavna Jat
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakad, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

05/10/2026

प्रार्थी **नाजिर खान** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र तथा प्रार्थी **आदिल**
की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के
प्रावधानों के तहत पुलिस थाना नौगावां, जिला अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या
282/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 112(2), 319(2), 318.(4), 336(3), 340(2) भारतीय दण्ड

संहिता व धारा 66सी व 66डी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु पेश किये गये हैं।

दोनों प्रार्थना पत्र एक ही प्रकरण से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण इस एक ही आदेश से किया जा रहा है।

प्रार्थी-अभियुक्त **आदिल** के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र 1/2026 पर सुना गया।

प्रार्थना-पत्र इस प्रक्रम पर स्वीकार कर कार्यालय द्वारा लगाया गया आक्षेप दूर किया जाता है एवं आरोप-पत्र की प्रति को अभिलेख पर लिया जाता है।

दोनों प्रकरणों में बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त **नाजिर खान** का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर आरोप-पत्र प्रस्तुत हो चुका है। उनका तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त पर आक्षेप है कि वह अपना 30 प्रतिशत कमीशन काटकर साईबर ठगी की राशि सहअभियुक्त आदिल को देता था। उनका तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध साईबर पोर्टल पर तीन शिकायत होना बताया गया है, जो लगभग सात हजार रुपये की राशि से संबंधित हैं। प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 14.07.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा पूर्ण होने में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

प्रार्थी-अभियुक्त **आदिल** के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र दिनांक 14.09.2026 को निरस्त हुआ था, उसके उपरांत प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उनका तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध साईबर पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज होना बताया गया है, जो कि लगभग 1,400/- रुपये से संबंधित है। उनका तर्क है कि प्रकरण में अब अनुसंधान होना शेष नहीं है। प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 24.07.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा पूर्ण होने में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी **नाजिर** के खाते में साईबर ठगी की राशि प्राप्त होती थी। उनका तर्क है कि प्रार्थी के खाते के विवरण को

देखने से लगभग 42—43 हजार रुपये का अंतरण होना दर्शित है। उनका तर्क है कि प्रार्थी के विरुद्ध साईबर पोर्टल पर तीन शिकायतें दर्ज हैं, जो 7,000/— रुपये से संबंधित हैं। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी **आदिल** के विरुद्ध साईबर पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज है, जो 1,400/— रुपये से संबंधित है। उनका तर्क है कि प्रार्थी—अभियुक्त के विरुद्ध सहअभियुक्त नाजिर के साथ मिलकर साईबर ठगी करने का आक्षेप है। उनका तर्क है कि प्रकरण की परिस्थितियों में ऐसा कोई सारवान परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी—अभियुक्त **नाजिर** के विरुद्ध साईबर पोर्टल पर तीन शिकायत एवं प्रार्थी **आदिल** के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज है, इसके अलावा और कोई मुकदमा दर्ज होना नहीं बताया गया है और न ही कोई शिकायत होना बताया गया है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर आरोप—पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी नाजिर दिनांक 14.07.2026 व प्रार्थी आदिल दिनांक 24.07.2026 से अभिरक्षा में हैं। प्रार्थी—अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी—अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी—अभियुक्त **नाजिर** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र व अभियुक्त **आदिल** की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी—अभियुक्तगण इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक—एक लाख रुपये का बन्ध—पत्र एवं पचास—पचास हजार रुपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J